



2026:AHC:48455-DB

एएफआर

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट सी संख्या 28236/2025

बिहारी लाल

...याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य

...प्रत्यर्थीगण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : श्री अमित कुमार सिंह

प्रत्यर्थियों के अधिवक्ता : स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 2

माननीय न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन

माननीय न्यायमूर्ति सिद्धार्थ नंदन

(माननीय न्यायमूर्ति सिद्धार्थ नंदन द्वारा प्रदत्त)

1. याचिकाकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री अमित कुमार सिंह तथा राज्य की ओर से विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता सुश्री कृतिका सिंह को सुना गया। दिनांक 23.02.2026 के आदेश के अनुपालन में, श्री कासरला राजू, प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, देवरिया न्यायालय के समक्ष उपस्थित हैं।

2. प्रस्तुत याचिका, प्रत्यर्थी संख्या 4 द्वारा पारित दिनांक 31.05.2025 के आदेश को, जिसके द्वारा उप प्रभागीय वन अधिकारी, अनुभाग प्रभारी, बनकटा, रेंज भटनी की संस्तुति के बावजूद 10 सागौन के वृक्षों के कटान की अनुमति हेतु प्रस्तुत याचिकाकर्ता के ऑनलाइन आवेदन को अस्वीकृत कर दिया गया, निरस्त किए जाने के लिए उत्प्रेषण की याचिका जारी किए जाने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत की गई है।

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी क़ानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



3. वर्तमान याचिका के उद्भव के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि आक्षेपित संपत्ति शारदा इन्वेस्टमेंट कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता की है तथा याचिकाकर्ता उक्त कम्पनी का पावर ऑफ अटॉर्नी धारक है। उसने 10 सागौन के वृक्षों के कटान की अनुमति प्राप्त करने हेतु दिनांक 13.02.2025 को उप प्रभागीय वन अधिकारी, अनुभाग प्रभारी, बनकटा, रेंज भटनी के समक्ष एक ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत किया, जिसके अनुपालन में दिनांक 15.02.2025 की एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, जिसे उक्त याचिका याचिका के साथ दाखिल शपथपत्र के संलग्नक संख्या-4 के रूप में संलग्न किया गया है।

4. उक्त रिपोर्ट के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक की भूमि पर सागौन के 10 खड़े वृक्ष स्थित हैं, जिनके कटान हेतु उसने आवेदन प्रस्तुत किया था। संबंधित प्राधिकारी द्वारा स्थल निरीक्षण एवं सत्यापन किए जाने के उपरांत क्षेत्रीय वन अधिकारी, भटनी रेंज को अनुमति प्रदान किए जाने की संस्तुति की गई।

5. तथापि, आक्षेपित आदेश द्वारा याचिकाकर्ता का आवेदन इस आधार पर अस्वीकृत कर दिया गया कि उक्त भूमि से संबंधित विवाद उच्च न्यायालय तथा दीवानी न्यायालय, तहसील भाटपार रानी, जनपद देवरिया में लंबित है।

6. प्रत्यर्थी संख्या 4 ने अपना व्यक्तिगत शपथपत्र दाखिल करते हुए यह कथन किया है कि याचिकाकर्ता द्वारा प्रारंभ की गई नामांतरण कार्यवाही में श्री जटा शंकर सिंह द्वारा एक आपत्ति प्रस्तुत की गई थी, जिसे उत्तर प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1901 (जिसे आगे "अधिनियम, 1901" कहा गया है) की धारा 34 के अंतर्गत वाद संख्या T2015052005000002 में तहसीलदार न्यायिक, भाटपार रानी द्वारा पारित दिनांक 29.12.2023 के आदेश द्वारा निरस्त कर दिया गया था। उन्होंने आगे यह भी कथन किया है कि उक्त जटा शंकर सिंह द्वारा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (जिसे आगे "संहिता, 2006" कहा गया है) की धारा 207 के अंतर्गत एक अपील प्रस्तुत की गई है। तथापि, उन्होंने इस तथ्य का खंडन नहीं किया है कि उक्त लंबित अपील में वर्तमान तिथि तक कोई अंतरिम आदेश प्रभावी नहीं है।

7. उन्होंने आगे यह भी कथन किया है कि प्रश्नगत भूमि को सीमा अधिनियम के अंतर्गत वाद संख्या 5/92 में धारा 10(2) के अधीन पारित दिनांक 17.02.1994 के आदेश

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



द्वारा अधिशेष घोषित किया गया था; तथापि, अपील में दिनांक 17.02.1994 के उक्त आदेश को दिनांक 24.05.1995 के आदेश द्वारा निरस्त कर दिया गया। दिनांक 24.05.1995 के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत याचिका याचिका भी निरस्त हो चुकी है तथा वह अंतिम रूप प्राप्त कर चुकी है।

8. उन्होंने आगे यह भी कथन किया है कि चूँकि गाटा संख्या 17 मि./10 एकड़ एक मिंजुमला भू-खण्ड है, अतः वह यह सुनिश्चित करने की स्थिति में नहीं थे कि प्रश्नगत वृक्ष गाटा संख्या 17 मि. के उस क्षेत्रफल में स्थित हैं या नहीं, जिस पर याचिकाकर्ता द्वारा दावा किया जा रहा है। तथापि, यह कथन आक्षेपित आदेश में दिए गए कारणों का भाग नहीं है तथा इसे एक पुराने तर्क के रूप में अतिरिक्त रूप से प्रस्तुत किया जा रहा है।

9. मुख्य रूप से, हम पाते हैं कि आक्षेपित आदेश में केवल यह उल्लेख किया गया है कि अनुमति इस कारण से अस्वीकृत की जाती है कि कुछ कार्यवाहियाँ उच्च न्यायालय के समक्ष तथा साथ ही उप जिलाधिकारी, तहसील भाटपार रानी, जनपद देवरिया के समक्ष लंबित हैं; किंतु जैसा कि उपर्युक्त उल्लेख किया गया है कि संहिता, 2006 की धारा 207 के अंतर्गत लंबित प्रथम अपील में कोई अंतरिम आदेश प्रभावी नहीं था; तथा उक्त जटा शंकर सिंह की आपत्ति पहले ही निरस्त की जा चुकी थी और तदनुसार, मात्र अपील का लंबित होना स्थगन आदेश अथवा अंतरिम आदेश के रूप में नहीं माना जा सकता है। अतः उक्त आधार याचिकाकर्ता के दावे को अस्वीकृत करने का आधार नहीं हो सकता था। हमारे समक्ष प्रस्तुत शपथपत्र में उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित किसी कार्यवाही का कोई उल्लेख नहीं है; तथापि, जहाँ तक गाटा संख्या 17 मि. से कुछ अधिशेष भूमि घोषित किए जाने की कार्यवाही में राज्य द्वारा प्रस्तुत याचिका का संबंध है, वह निर्विवाद रूप से निरस्त हो चुकी है और उच्च न्यायालय के निर्णय को आगे किसी चुनौती के अधीन नहीं किया गया है; अतः आक्षेपित आदेश में वर्णित उच्च न्यायालय के समक्ष कोई लंबितता विद्यमान नहीं है।

10. हमारे समक्ष यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि यदि संपत्ति का भौतिक विभाजन नहीं हुआ है, तो क्या संबंधित प्राधिकारी के अधिकार क्षेत्र में यह है कि वह याचिकाकर्ता के भू-खण्ड पर स्थित कुछ वृक्षों के कटान हेतु उसके आवेदन को अस्वीकृत कर दे। यद्यपि उक्त कारण

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी क़ानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



आक्षेपित आदेश से परिलक्षित नहीं होता है, तथापि विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता द्वारा यह कहने का प्रयास किया गया कि प्रश्नगत भू-खण्ड के अविभाजन के कारण अनुमति अस्वीकृत की गई। न्यायालय के समक्ष उपस्थित प्रत्यर्थी संख्या 4 द्वारा भी यही पक्ष दोहराया गया है।

11. अब यह विधि का स्थापित सिद्धांत है कि आक्षेपित आदेश को उसमें दिए गए कारणों के आधार पर स्वयं को उचित ठहराना होगा और वर्तमान प्रकरण ऐसा है, जहाँ शपथपत्र भी उन कारणों का समर्थन नहीं करता है, जिनके आधार पर कथित रूप से आक्षेपित आदेश पारित किया गया है।

12. तथापि, न्याय के हित में, हम उक्त प्रश्न की जाँच करने के लिए अग्रसर होते हैं और हम पाते हैं कि सर्वप्रथम, चूँकि अधिनियम, 1901 की धारा 34 के अंतर्गत प्रारंभ की गई कार्यवाही तथा संहिता, 2006 की धारा 207 के अंतर्गत अपील में लंबित बताई गई कार्यवाही, संक्षिप्त प्रकृति की हैं और उन्हें याचिकाकर्ता के स्वत्व को आक्षेपित करने के लिए विचार में नहीं लिया जा सकता था, और विशेष रूप से तब जबकि उक्त अपील में कोई अंतरिम आदेश प्रभावी नहीं था, अतः केवल अपील के लंबित होने के आधार पर आक्षेपित आदेश पारित नहीं किया जा सकता था।

13. जहाँ तक उच्च न्यायालय के समक्ष कार्यवाही के लंबित होने के संबंध में दिए गए कारण का प्रश्न है, वह अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों के पूर्णतः विपरीत है, क्योंकि सीमा कार्यवाही में राज्य द्वारा प्रस्तुत याचिका याचिका भी निरस्त हो चुकी है तथा वह अंतिम रूप प्राप्त कर चुकी है।

14. अब अंतिम प्रश्न पर आते हुए कि भूमि के किसी भौतिक विभाजन के अभाव में अनुमति प्रदान की जा सकती है अथवा नहीं।

15. हम यह टिप्पणी करने के लिए बाध्य हैं कि याचिकाकर्ता से यह अपेक्षित हो सकता है कि वह यह प्रदर्शित करे कि यदि वह ऐसे भू-खण्ड के संबंध में अनुमति प्राप्त करना चाहता है, जो एक मिंजुमला भू-खण्ड है, तो वह उस भूमि के उक्त क्षेत्र पर कब्जे में है, जिस पर वृक्ष लगे हुए हैं और उन्हीं वृक्षों को काटने हेतु वह अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों के अंतर्गत

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी क़ानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



अनुमति प्राप्त करने का इच्छुक है। वृक्षों के कटान एवं हटाने पर प्रतिबंध उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण अधिनियम, 1976 (जिसे आगे "अधिनियम, 1976" कहा गया है) की धारा 4 में वर्णित किए गए हैं तथा वृक्षों के कटान अथवा हटाने हेतु अनुमति की प्रक्रिया अधिनियम, 1976 की धारा 5 के अंतर्गत प्रदान की गई है; और तत्पश्चात अधिनियम, 1976 की धारा 10 के अंतर्गत धारा 4 के उल्लंघन में वृक्षों के कटान अथवा हटाने के लिए दंड का प्रावधान किया गया है, जो छह माह तक के कारावास या एक हजार रुपये तक के जुर्माने अथवा दोनों से दंडनीय है। सुविधा के लिए, अधिनियम, 1976 की धाराएँ 4, 5 एवं 10 नीचे उद्धृत की जा रही हैं।

"4. पेड़ काटने और हटाने पर रोक - इस अधिनियम या इसके तहत बने नियमों में दी गई व्यवस्था के अलावा, कोई भी व्यक्ति-

(ए) किसी भी ज़मीन पर खड़े पेड़ को नहीं काटेगा, चाहे वह ज़मीन किसी जोत का हिस्सा हो या नहीं;

(बी) किसी भी ऐसी भूमि पर स्थित किसी वृक्ष को, ऐसे वृक्ष को छोड़कर जो पूर्णतः मृत हो चुका हो और मानवीय हस्तक्षेप के बिना स्वाभाविक रूप से गिर गया हो, काटना, हटाना अथवा अन्यथा उसका निस्तारण नहीं करेगा।

5. पेड़ काटने/हटाने की मंजूरी के लिए प्रक्रिया - (1) कोई भी व्यक्ति जिसे खड़े पेड़ को काटने या गिरे हुए पेड़ को काटने, हटाने या उसका निपटान करने का अधिकार है, वह राज्य सरकार द्वारा बताए गए फॉर्म में संबंधित अधिकारी को मंजूरी के लिए आवेदन कर सकता है। जिस अधिकारी को आवेदन दिया जाता है, वह ज़रूरी जाँच-पड़ताल करने के बाद बीस दिनों के भीतर अपनी आख्या के साथ आवेदन को सक्षम अधिकारी को भेज देगा।

(2) सक्षम प्राधिकारी, उपधारा (1) के अधीन प्राप्त रिपोर्ट की प्राप्ति की तिथि से पंद्रह दिवस के भीतर, आवेदन में अपेक्षित अनुमति प्रदान करेगा अथवा उसे अस्वीकार करेगा।

परंतु यह कि यदि सक्षम प्राधिकारी उपधारा (1) के अधीन प्रस्तुत रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं है, तो वह ऐसी अतिरिक्त जाँच कर सकता है, जिसे वह उचित समझे।

परंतु यह भी कि आवेदक को सुनवाई का अवसर प्रदान किए बिना ऐसी अनुमति अस्वीकृत नहीं की जाएगी।

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी क़ानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



परंतु यह भी कि यदि वृक्ष किसी व्यक्ति अथवा संपत्ति के लिए संकट उत्पन्न करता है, तो ऐसी अनुमति अस्वीकृत नहीं की जाएगी।

परंतु यह भी कि राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त अधिसूचित क्षेत्रों को छोड़कर, ईंधन, चारा, कृषि उपकरण अथवा अन्य घरेलू उपयोग के लिए सद्भावपूर्वक लकड़ी या पत्तियों के उपयोगार्थ किसी वृक्ष को काटने के लिए ऐसी अनुमति अपेक्षित नहीं होगी।

परंतु यह भी कि किसी अवरोध या उपद्रव को दूर करने अथवा किसी संकट को रोकने के लिए आवश्यक तात्कालिक उपाय, ऐसी अनुमति प्राप्त किए बिना भी किए जा सकेंगे।

(3) जहाँ सक्षम अधिकारी तय समय के भीतर उप-धारा (2) के तहत कोई फैसला लेने में विफल रहता है, तो यह..." यह माना जाएगा कि मांगी गई अनुमति दे दी गई है।

(4) इस अधिनियम के अधीन प्रदान की गई प्रत्येक अनुमति ऐसी शर्तों के अधीन होगी, जिनमें क्षेत्र के पुनर्जनन तथा वृक्षों के पुनरोपण अथवा अन्यथा उसे सुनिश्चित करने हेतु प्रतिभूति लिए जाने संबंधी शर्तें भी सम्मिलित होंगी, जिन्हें राज्य सरकार समय-समय पर अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे।

10. धारा 4 का उल्लंघन करके पेड़ काटने या हटाने पर सज़ा - जो कोई भी धारा 4 के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए किसी खड़े पेड़ को काटता है या कटवाता है, या गिरे हुए पेड़ को काटता है, हटाता है या उसका निपटान करता है, या इस अधिनियम के तहत दी गई किसी अनुमति की शर्त का उल्लंघन करता है, उसे छह महीने तक की जेल या एक हजार रुपये तक का जुर्माना या दोनों सज़ाएँ हो सकती हैं।

16. धारा 5 के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि कोई भी व्यक्ति, जो किसी खड़े वृक्ष को काटने अथवा गिरे हुए वृक्ष को काटने, हटाने या अन्यथा उसका निस्तारण करने का अधिकारी है, वह विहित प्रपत्र में ऐसे अधिकारी के समक्ष उक्त खड़े वृक्ष को काटने की अनुमति प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत कर सकता है तथा जिस अधिकारी के समक्ष ऐसा आवेदन प्रस्तुत किया जाता है, वह अपनी आवश्यकतानुसार जाँच करने के उपरांत, आवेदन प्राप्त होने की तिथि से बीस दिवस के भीतर अपनी रिपोर्ट सहित उक्त आवेदन सक्षम प्राधिकारी को अग्रेषित करेगा।

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी क़ानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



17. वर्तमान प्रकरण के तथ्यों में, हम पाते हैं कि ऐसी रिपोर्ट उप प्रभागीय वन अधिकारी, अनुभाग प्रभारी, बनकटा, रेंज भटनी द्वारा पूर्व में ही प्रेषित की जा चुकी थी तथा उसके उपरांत सक्षम प्राधिकारी को उक्त रिपोर्ट प्राप्त होने की तिथि से पंद्रह दिवस के भीतर निर्णय लेना अपेक्षित था।

18. सक्षम प्राधिकारी के पास यह विकल्प भी है कि यदि वह संहिता, 2006 की धारा 5 (1) के तहत दी गई आख्या से संतुष्ट नहीं है, तो वह आगे की जाँच कर सकता है। हालाँकि, अधिनियम, 1976 की धारा 5 (2) का प्रावधान स्पष्ट रूप से कहता है कि आवेदक को सुनवाई का मौका दिए बिना अनुमति से इनकार नहीं किया जाएगा। इस मामले में, हम पाते हैं कि आक्षेपित आदेश पारित करने से पहले याचिकाकर्ता को सुनवाई का कोई मौका नहीं दिया गया था। हालाँकि, वह संहिता, 2006 की धारा 30(2) के तहत भौतिक विभाजन पर आख्या मांगकर आगे की जाँच कर सकता था।

19. उपरोक्त के दृष्टिगत, हम पाते हैं कि आक्षेपित आदेश विधि की दृष्टि में टिकाऊ नहीं है और इसलिए, प्रत्यर्थी संख्या 4 द्वारा पारित 31.05.2025 का आक्षेपित आदेश रद्द किया जाता है। याचिकाकर्ता को यह स्वतंत्रता होगी कि वह संबंधित प्राधिकारी के समक्ष एक नवीन आवेदन प्रस्तुत करे, जिसमें विशेष रूप से यह प्रदर्शित करे कि जिस भू-खण्ड पर वृक्ष स्थित हैं, वह उसके अनन्य कब्जे में है तथा आक्षेपित भू-खण्डों के संबंध में लंबितवादों का विशिष्ट विवरण भी प्रस्तुत करे और यह भी स्पष्ट करे कि उक्त लंबित कार्यवाहियों में कोई अंतरिम आदेश प्रभावी नहीं है, अर्थात् यह प्रदर्शित करे कि कोई विधिक बाधा विद्यमान नहीं है।

20. यदि नामांतरण की लंबित कार्यवाही में कोई अंतरिम आदेश नहीं है - जो कि वैसे भी एक संक्षिप्त कार्यवाही की तरह होती है - तो सक्षम अधिकारी अर्जी पर फैसला करने के लिए आगे बढ़ेंगे। अगर राज्य का ज़मीन के किसी हिस्से पर दावा है, जो गाटा संख्या 17 मि० का हिस्सा है, तो वे अर्जी की तारीख से चार हफ्ते के भीतर अपनी पहल पर सीमांकन करवाएंगे और उसके बाद, दो हफ्ते के भीतर याचिकाकर्ता की अर्जी पर फैसला लेंगे, जो 1976 के अधिनियम के तहत मंजूरी के लिए है; इस दौरान 15.02.2025 की संस्तुति (अनुलग्नक-4) पर उचित ध्यान दिया जाएगा।

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी क़ानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



21. इस मामले को समाप्त करने से पहले, हम पाते हैं कि आक्षेपित आदेश पारित करते समय प्रत्यर्थी संख्या 4 का आचरण और रवैया कानून के अनुरूप नहीं था और इसके अलावा, उन्होंने इस न्यायालय के समक्ष एक नया आधार प्रस्तुत करने का प्रयास किया कि आवेदन की अस्वीकृति का कारण वर्ष 2006 की संहिता की धारा 30 की उपधारा (2) के अंतर्गत मिंजुमला भू-खण्ड का विभाजन न होना था। चूँकि हम ऐसा कोई आदेश पारित नहीं करना चाहते जो राज्य के अधिकारों का उल्लंघन करे, इसलिए हम प्रत्यर्थी संख्या 4 के संबंध में कोई और आदेश पारित करने से विरत रहते हैं, लेकिन उन्हें चेतावनी दी जाती है कि भविष्य में वे ऐसे कदम उठाएं जो कानून के प्रावधानों के अनुरूप हों।

22. उपरोक्त टिप्पणियों के साथ, याचिका याचिका **स्वीकार** की जाती है।

(माननीय न्यायमूर्ति सिद्धार्थ नंदन) (माननीय न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन)

मार्च 10, 2026

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"